

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -119

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2023-01984

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "जैनम पार्क", प्रमोटर-जैनम बिल्डर्स, पता-तृतीय तल,
रामपुरैया टॉवर, तात्यापारा, रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"जैनम पार्क" कमल विहार, टिकरापारा, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
01/04/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>- माननीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2023 में अनावेदक के विरुद्ध रूपये 5,00,000/- की शास्ति अधिरोपित की गई थी, जिससे असंतुष्ट होकर अनावेदक द्वारा माननीय अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय अपीलीय अधिकरण द्वारा दिनांक 08.01.2024 में शास्ति राशि रूपये 5,00,000/- को कम कर रूपये 1,00,000/- शास्ति अधिरोपित किया गया है। अनावेदक द्वारा माननीय अपीलीय अधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति को आर.टी.जी.एस. के माध्यम से जमा कर दिया गया है। अतः प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही /- (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही /- (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	